ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता :- माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 2539 / 12-1(2) दिनांक 30/01 /2023::

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रुद्रप्रयाग।

विषय :– **जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपड़ा उडामाण्डा (पी.एम.जी.एस.वाई.) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड़) होते हुये बैंजी कार्ण्डई (अनू0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.175 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/155241/2022

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या–107 / 16सी0 दिनांक 09.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड प्रति एवं पोर्टल पर ऑनलाईन अवलोकन करने पर निम्न कमियां पाई गई–

1. प्रस्ताव की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गई है।
2. प्रस्ताव में संलग्न डिजिटल एवं टोपोशीट मानचित्र तथा ऑनलाईन अपलोड की गई KML फाईल में चयनित संरेखण मौके पर पाई गई स्थिति के अनुसार नहीं दर्शाया गया है।
3. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–9 में वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित वृक्षों की संख्या–100 अंकित की गई है, जबकि संलग्न सूची में कुल 103 वृक्ष अंकित किये गये हैं तथा वैकल्पिक संरेखण में उल्लेख किया गया है कि स्लाइड जोन एवं ग्रामीणों की असहमति के कारण यह संरेखण चयनित नहीं किया गया, जबकि वैकल्पिक संरेखण की भू–वैज्ञानिक आख्या प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गई है।
4. प्रस्ताव में संलग्न बारचार्ट में मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 2.050 किमी0 दर्शाई गई है, जबकि ऑनलाईन अपलोड की गई KML फाईल का अवलोकन करने पर चयनित संरेखण की कुल लम्बाई 1.320 किमी0 पाई गई।
5. प्रस्ताव में संलग्न बारचार्ट में मोटर मार्ग के प्रारम्भिक भाग 0.00 किमी0 से 0.550 किमी0 तक नाप भूमि दर्शाई गई है, जबकि मौके पर एवं ऑनलाईन अपलोड की गई KML फाईल का अवलोकन करने पर पाया गया कि मार्ग के प्रारम्भिक भाग 0.00 किमी0 से 0.550 किमी0 के अन्तर्गत वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है।
6. प्रस्ताव में संलग्न बारचार्ट में मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु चयनित मक डम्पिंग स्थल नहीं दर्शाये गये हैं।

अतः उपरोक्त कमियों का पूर्ण निराकरण कर संशोधित प्रपत्र परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन करते हुये प्रस्ताव में यथास्थान चस्पा कर प्रस्ताव मूल सहित चार प्रतियों में शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, तत्पश्चात् प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही की जानी संभव होगी। आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की चार प्रति उपरोक्तानुसार संशोधन हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (प्रस्ताव की चार प्रति)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।